परिशिष्ट –1

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

1. **योजना का नाम** : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

2. **योजना का प्रारंभ** : 01 अगस्त, 2014

3. **योजना का उद्देश्यः** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयनः** योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।

5. **पात्रता** :

   5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

   5.2 आवेदक :

      5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

      5.2.2 न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

      5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।

      5.2.4 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.5 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.6 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.3 योजना केवल उद्योग /सेवा क्षेत्र के लिए ही होगी। व्यापारिक गतिविधियों को पात्रता नहीं होगी।

6. **वित्तीय सहायता** :

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये एक करोड़ होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) देय होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. **आवेदन प्रक्रिया :**

7.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. **आवेदन पत्रों का निराकरण :**

8.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनान्तर्गत गठित जिला टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी –

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
4. कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
5. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि	सदस्य
8. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कालेज के प्रतिनिधि	सदस्य
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य–सचिव

टीप:–आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/ प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.5 बैंकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक में प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जावेगा।

8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.7 योजना के सुचारू रूप से कियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला टास्कफोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. **<u>प्रशिक्षण</u>** :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10 **मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :**

10.1 परियोजना की पूंजीगत लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 12 लाख) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष मार्जिनमनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप– आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करे लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11 **वित्तीय प्रवाह :–**

11.1 ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि क्लेम किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के लीड़ बैंकों के राज्य स्तरीय

मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 **विविध :**

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 औद्योगिक इकाईयों को शासन की उद्योग संवर्धन नीति (यथा संशोधित) में घोषित पूंजीगत लागत अनुदान तथा ब्याज अनुदान को छोड़कर अन्य सुविधाएं भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी।

12.3 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) अंतर्गत मान्य हैं।

12.4 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डित कार्यवाही की जा सकेगी।

12.5 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12.6 जिला टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।

12.7 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग सक्षम होगा।

13 **परिभाषाएँः–**

13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है ।

13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।

13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है।

13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस योजना अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है।

13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium) कहलाती है।

———

परिशिष्ट –2

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1. **योजना का नामः** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

2. **योजना का प्रारंभः** 01 अगस्त, 2014

3. **योजना का उद्देश्यः** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयनः** स्वरोजगार योजनाएं संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने–अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा। 1 अगस्त 2014 के पूर्व यह समस्त विभाग अपने–अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। स्वरोजगार योजना के समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी करेंगे।

5. **पात्रताः**

5.3 योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

5.4 **आवेदकः**

5.3.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

5.3.2 न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणी करण के आधार पर)

5.3.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

5.3.4 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.3.5 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

5.3.6 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.4 योजना उद्योग /सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

6. वित्तीय सहायता:

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 20 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता निम्नानुसार होगी :–

अ– सामान्य वर्ग हेतु– 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये एक लाख)।

ब– बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्त जन हेतु– 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2 लाख)।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष) । ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रकियाः

7.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य परियोजना प्रतिवदेन) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरणः

8.1 सभी संबंधित विभागों में प्राप्त आवेदन पत्र योजनान्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 विभागों को चयन समिति गठित करने का अधिकार होगा। विभागीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगीः–

1. संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख – अध्यक्ष
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि – सदस्य
3. कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि – सदस्य
4. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि – सदस्य
5. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि – सदस्य
6. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि – सदस्य
7. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि – सदस्य
8. संबंधित विभाग के योजना प्रभारी – सदस्य–सचिव

8.3 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों के निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 आवेदन पत्रों का निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समीक्षा समिति गठित होगीः—

10. कलेक्टर	अध्यक्ष
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
12. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
13. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक	सदस्य
14. सेडमेप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
15. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
16. जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
17. संबंधित विभागों के जिला कार्यालय प्रमुख	सदस्य
18. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	समन्वयक

टीप:—आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.5 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.6 बैंकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक में प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जावेगा।

8.7 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.8 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला स्तरीय समीक्षा समिति के द्वारा की जावेगी।

9. **<u>प्रशिक्षण</u>** :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगीः

10.1 सामान्य वर्ग के लिएः– परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. एक लाख) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष देय मार्जिनमनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्त जन हेतु– परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2 लाख)।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.4 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप– आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करे लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11 वित्तीय प्रवाहः–

11.1 ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, परियोजना लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि क्लेम किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के लीड़ बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 <u>विविध</u> :

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 औद्योगिक इकाईयों को शासन की उद्योग संवर्धन नीति (यथा संशोधित) में घोषित पूंजीगत लागत अनुदान तथा ब्याज अनुदान को छोडकर अन्य सुविधाएं भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेंगी।

12.3 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस) अंतर्गत मान्य हैं।

12.4 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

12.5 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य

होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12.6 जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में विचार हेतु रखे जावेंगे।

12.7 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु संबंधित विभाग विशेष सक्षम होगा।

13. परिभाषाएंः–

13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।

13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान के रूप में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।

13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है।

13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस योजना अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है)

13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium) कहलाती है)

———

प्रपत्र–1

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

(रु. 10 लाख से 1.00 करोड़ तक की परियोजना हेतु आवेदन–पत्र)

फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम

2. पिता / पति का नाम

3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता

   ब. दूरभाष / मोबाईल नम्बर

   स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता

   द. आवेदक का दूरभाष / मोबाईल नम्बर

4. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

5. अ. जन्म तिथि
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

   ब. आवेदन दिनांक को उम्र वर्ष.....माह.....दिन.....

6. अ. आवेदक की श्रेणी
   (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. /
   अल्पसंख्यक / निःशक्तजन)

   ब. लिंग (पुरूष / महिला)

7. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम
   (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)

   ब. परियोजना का प्रकार
   (विनिर्माण इकाई / सेवा इकाई / व्यवसाय)

8. अ. परियोजना लागत

(i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर)

(ii) मशीन/उपकरण/साज–सज्जा

(iii) कार्यशील पूंजी

योग

ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध

(i) मार्जिन मनी सहायता

(ii) आवेदक का अंश दान

(iii) बैंक से अपेक्षित ऋण राशि

योग

9. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहॉ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता है

10. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।

11. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन–पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र/मतदाता पहचान–पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)

3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र

4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण–पत्र

5. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया–नामा

6. मशीनरी/उपकरण/साज–सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन

7. अन्य

प्रपत्र–2

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

(रु 20 हजार से 10 लाख तक की परियोजना हेतु आवेदन–पत्र)

फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम

2. पिता/पति का नाम

3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता

   ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर

   स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता

   द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर

4. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

5. अ. जन्म तिथि
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

   ब. आवेदन दिनांक को उम्र वर्ष.....माह.....दिन.....

6. अ. आवेदक की श्रेणी

   (अ.जा./अ.ज.जा./अपिव(क्रीमिलेयर को छोडकर)/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन)
   (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

   ब. लिंग (पुरूष/महिला)

7. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम

   (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)

   ब. परियोजना का प्रकार
   (विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)

8. अ. परियोजना लागत

1. भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर)
2. मशीन/उपकरण/साज–सज्जा
3. कार्यशील पूंजी

योग

ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध

1. मार्जिनमनी सहायता
2. स्वयं की मार्जिनमनी
3. बैंक से अपेक्षित ऋण राशि

योग

9. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहॉ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता हो

10. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।

11. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन–पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. परियोजना प्रतिवेदन (संलग्न प्रारूप में)

2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र/मतदाता पहचान–पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)

3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र

4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण–पत्र

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)

   टीप– अन्य पिछडा वर्ग के श्रेणी में होने पर, क्रीमिलेयर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र आवश्यक है

7. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया–नामा

8. मशीनरी/उपकरण/साज–सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन

9. अन्य पिछडा के अन्तर्गत क्रीमिलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण–पत्र

10. अन्य

प्रपत्र–3

परियोजना – प्रारूप

(20 हजार से 10 लाख तक के उद्योग/सेवा परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता : .....

2. उद्योग/सेवा उद्यम का नाम व पता : .....

3. उत्पाद/सेवा का नाम व परिचय एवं : .....
   बाजार में मांग की संभावना .....
   .....

4. **प्रस्तावित क्षमता (मासिक)**

क्र.	नाम वस्तु/सेवा कार्य	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
		योग	

5. **पूंजी विनियोजन :–**

   अ. स्थिर पूंजी

   (i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) : .....

   (ii) मशीन एवं साज–सज्जा

क्र.	मशीन/साज–सज्जा	परिमाण	मूल्य
1			
2			
4			
		योग	

ब. कार्यशील पूंजी

(i) कच्चामाल

क्र.	कच्चेमाल का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
		योग	

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्र.	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1	व्यवस्थापक		
2	कुशल कारीगर		
3	अकुशल कारीगर		
4	अन्य		
		योग	

(iii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस / स्टेशनरी / विज्ञापन	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	अन्य आकस्मिक व्यय	
	योग	

6. कार्यशील पूंजी का योग **(i+ii+iii)**

7. उत्पादन लागत प्रतिमाह

(i) कार्यशील पूंजी :

(ii) मशीन आदि पर घिसावट :

(स्थिर पूंजी का 10 प्रतिशत)

(iii) कुल पूंजी पर ब्याज :

योग :

8. लाभ/हानि प्रतिमाह

(i) सेवा/उत्पादन विक्रय से आय :

(ii) उत्पादन लागत (–) :

शुद्ध–लाभ :

9. वित्तीय आवश्यकताएं

(i) स्थिर पूजी हेतु :

(ii) कार्यशील पूजी हेतु :

योग :

10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) मार्जिनमनी सहायता :

(ii) बैंक से ऋण :

योग :

11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि

(मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

प्रपत्र–4

परियोजना – प्रारूप

(रु. 20 हजार से 10 लाख तक के व्यवसाय परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :.....

2. व्यवसाय का नाम व पता :.....

3. प्रस्तावित व्यवसाय की संभावना :.....

.....

.....

4. **पूंजी विनियोजन :–**

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :.....

(ii) दुकान एवं साज–सज्जा

क्रमांक	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
		योग	

ब. कार्यशील पूंजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्रमांक	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		योग	

(ii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	स्टेशनरी / विज्ञापन / पोस्टेज	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूंजी पर ब्याज आदि	
	योग	

5. **कार्यशील पूंजी का योग (i+ii)** :

6. **लाभ/हानि प्रतिमाह**

(i) व्यवसाय की औसत विक्री से लाभ :

(ii) व्यवसाय पर खर्च (–) :

शुद्ध–लाभ :

7. **वित्तीय आवश्यकताएं**

(i) स्थिर पूजी हेतु :

(ii) कार्यशील पूजी हेतु :

योग :

8. **आवश्यक वित्तीय प्रबंध**

(i) मार्जिनमनी सहायता :

(ii) बैंक से ऋण :

योग :

9. **ऋण पुनर्भुगतान अवधि**

(मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं

हस्ताक्षर

नवीन योजनाओं का जनसंख्या के अनुपात में लक्ष्य निर्धारण 2014–15

क्र.	जि.व्या.उ.के का नाम	जनसंख्या	प्रदेश के मान से जनसंख्या का प्रतिशत	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु लक्ष्य	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य
1	***उज्जैन***	1986864	2.736	25	545
2	रतलाम	1455609	2.004	20	400
3	मन्दसौर	1340411	1.846	20	400
4	नीमच	826067	1.137	10	225
5	शाजापुर	1512681	2.083	20	400
6	देवास	1563715	2.153	25	430
	योग	**8685347**	**11.959**	**120**	**2400**
7	***ग्वालियर***	2032036	2.798	30	560
8	दतिया	786754	1.083	10	225
9	शिवपुरी	1726050	2.377	25	475
10	गुना	1241519	1.709	15	340
11	अशोकनगर	845071	1.164	10	225
	योग	**6631430**	**9.131**	**90**	**1825**
12	***मुरैना***	1965970	2.707	30	545
13	श्योपुर	687861	0.947	10	190
14	भिण्ड	1186935	1.634	15	325
15	मालनपुर	516070	0.711	5	140
	योग	**4356836**	**5.999**	**60**	**1200**
16	**सागर**	2378458	3.275	30	650
17	दमोह	1264219	1.741	20	350
18	छतरपुर	1762375	2.427	25	500
19	पन्ना	1016520	1.400	15	275
20	टीकमगढ	1445166	1.990	15	375
	योग	**7866738**	**10.832**	**105**	**2150**

क.	जि.व्या.उ.के का नाम	जनसंख्या	प्रदेश के मान से जनसंख्या का प्रतिशत	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु लक्ष्य	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य
21	***जबलपुर***	2463289	3.392	30	650
22	कटनी	1292042	1.779	15	350
23	छिन्दवाडा	2090922	2.879	30	600
24	बालाघाट	1701698	2.343	25	475
25	नरसिंहपुर	1091854	1.503	15	300
26	सिवनी	1379131	1.899	20	375
27	मण्डला	1054905	1.453	15	300
28	डिण्डोरी	704524	0.970	10	200
	योग	**11778365**	**16.218**	**160**	**3250**
29	***रीवा***	2365106	3.257	30	650
30	सतना	2228935	3.069	30	600
31	सीधी	1126515	1.551	15	300
32	सिंगरोली	1178132	1.622	20	350
	योग	**6898688**	**9.499**	95	1900
33	***शहडोल***	1066063	1.468	20	300
34	उमरिया	644758	0.888	5	175
35	अनुपपुर	749237	1.032	10	200
	योग	**2460058**	**3.387**	35	**675**
36	***भोपाल***	2371061	3.265	35	650
37	सीहोर	1311332	1.806	20	350
38	विदिशा	1458875	2.009	20	400
39	राजगढ	1545814	2.128	20	420
40	रायसेन	836693	1.152	10	230
41	मण्डीदीप	494904	0.681	5	150
	योग	**8018679**	**11.041**	**110**	**2200**
42	***होशगाबाद***	1241350	1.709	20	350
43	हरदा	570465	0.785	10	175
44	बैतूल	1575362	2.169	20	425
	योग	**3387177**	**4.664**	**50**	**950**
45	***इंदौर***	3276697	4.512	45	925

क्र.	जि.व्या.उ.के का नाम	जनसंख्या	प्रदेश के मान से जनसंख्या का प्रतिशत	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु लक्ष्य	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य
46	खरगौन	1873046	2.579	25	525
47	खण्डवा	1310061	1.804	20	360
48	धार	1681637	2.315	25	450
49	पीथमपुर	504156	0.694	10	135
50	बुरहानपुर	757847	1.043	10	205
51	बडवानी	1385881	1.908	20	375
52	झाबुआ	1025048	1.411	10	275
53	अलीराजपुर	728999	1.004	10	200
	योग	**12543372**	**17.271**	**175**	**3450**
	महायोग	**72626690**	**100.00**	**1000**	**20000**